



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

7. सरदार पटेल मार्ग पटना-15

CIN-U45201BR1975SG001208



ISO:9001:2015

Reg.no.:1017QFH01

Doc. No:- BRPNNL/HQA//.....	Dt	Page No..../.....
-----------------------------------	----------	-------------------

॥ कार्यालय आदेश ॥

गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०-2633 दिनांक 09.04.2021 में दिये गये निदेश के अनुपालन में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०-2219 (एस) दिनांक 12.04.2021 के आलोक में कोविड-19 वायरस के प्रसार को देखते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० (मुख्यालय/अंचल एवं प्रमण्डल कार्यालयों) में पदस्थापित एवं कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 30.04.2021 तक के लिए निम्नलिखित निदेश निर्गत किये जाते हैं :-

- (i) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० में पदस्थापित सभी राजपत्रित पदाधिकारी प्रतिदिन नियमित रूप से कार्यालय अवधि में कार्यालय आयेंगे।
(ii) जबकि अराजपत्रित कर्मियों के मामले में प्रभारी पदाधिकारी 50% कर्मियों की उपस्थिति के आलोक में Alternate दिवस को कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से अलग से निदेश निर्गत करेंगे।
- कार्यालय अवधि में सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों कार्यालय में चेहरे पर मास्क लगायेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थान पर तीन से अधिक कर्मियों एकत्रित नहीं रहेंगे। कार्यालय परिसर में पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन एवं इधन-उधर थूकना दण्डनीय अपराध समझा जाएगा।
- सभी पदाधिकारी/कर्मचारी को कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शिका तथा कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित SOP का पालन करना होगा।
- निगम के पदाधिकारी/कर्मचारी तथा उनके परिवार के किसी भी सदस्य में कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने की स्थिति में विधिवत अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचना देते हुए अनुमान्य अवकाश की स्वीकृति के उपरांत ही अवकाश पर रहेंगे।
- उपस्थित कर्मचारी/प्रशिक्षु, पदाधिकारी के निदेशानुसार अनुपस्थित कर्मियों के कार्य का भी सम्पादन करते रहेंगे।
- अनुपस्थित कर्मचारी कार्य की महत्ता के अनुरूप बुलाये जाने पर यथालाभ कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- रोटेशन से प्रभावित कर्मियों/प्रशिक्षुरोटेशन अवधि में भी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा दूरभाष पर उपस्थित रहेंगे। मोबाईल को स्वीच ऑफ किया जाना तथा निगम द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना का अनुपालन नहीं किया जाना कदाचार माना जायेगा।
- पूर्व में निर्गत आदेश के आलोक में बाहरी आगंतुकों का प्रवेश यथा संभव निषिद्ध रहेगा।
- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

(कृ०पृ०उ०)

ज्ञापांक ...1758...

पटना दिनांक 13/04/2021

प्रतिलिपि:- सचिव (योजना एवं प्रशासन)/सभी उप मुख्य अभियंता/वित्तीय सलाहकार
-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी/सभी वरीय परियोजना अभियंता/सभी वरीय निरूपण अभियंता/वरीय
योजना अभियंता/वरीय गुण नियंत्रण अभियंता/सचिव (कम्पनी-कार्य)/बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य
पुल निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारी/
कर्मचारी का तैयार किये गये रोस्टर की प्रति 24 (चौबीस) घंटा में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना
सुनिश्चित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0
13.04.2021